File No.CUS/APR/MISC/3595/2021-A/GR -O/o COMMR-CUS-COCHIN-Part(1)

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE



राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS सीमा श्ल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोच्चिन-682009

CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Website: www.cochincustoms.gov.in E-mail: commr@cochincustoms.gov.in Control Room: 0484-2666422

Fax: 0484-2668468

DID No. 2835100

F.No.:CUS/APR/MISC/3595/2021-A/GR (Pt.1)

fadias Dated. 16.09.2021

स्थायी आदेश सं. STANDING ORDER NO. 01/2021

विषय: मूल के अधिमान्य प्रमाणपत्रों का सत्यापन और सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के तहत मूल के नियमों का प्रशासनिक) नियम (CAROTAR), 2020 के कार्यान्वयन में व्यापार के सामने आने वाली कठिनाइयों - के संबंध में।

Sub.: Verification of the preferential certificates of origin and difficulties being faced by the trade in implementation of the Customs (Administrative of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules (CAROTAR), 2020 - Reg.

सीमा शुल्क के सभी संबंधित अधिकारियों का ध्यान सी बी आई सी के निर्देश संख्या 18/2021-सीमा शुल्क दिनांक 17.08.2021 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के तहत मूल नियमों के प्रशासनिक) नियम (CAROTAR), 2020 के तहत मूल अधिमान्य प्रमाणपत्रों के सत्यापन के संबंध में है।

Attention of all concerned officers of Customs is invited to the CBIC instruction No. 18/2021-Customs dated 17.08.2021 regarding verification of the preferential certificates of origin under Customs (Administrative of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules (CAROTAR), 2020.

- 2. इस स्थायी आदेश का उद्देश्य CAROTAR, 2020 के विवेकपूर्ण प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करना और निर्धारित समय-सीमा के सख्त कार्यान्वयन के लिए आगे के दिशा-निर्देश प्रदान करना है।
- This Standing Order aims to provide a procedure to ensure judicious application of CAROTAR, 2020 and further guidelines for strict implementation of the prescribed timelines.
- उत्पत्ति के प्रमाण पत्र के थोक सत्यापन अन्रोध: सी बी आई सी परिपत्र संख्या 38/2020-सीमा श्ल्क दिनांक 21.08.2020 के पैरा 4 (i) में कहा गया है कि-

"यदि समान मद से संबंधित कई प्रमाणपत्रों की समीक्षा या जांच की जा रही है, तो केवल प्रतिनिधि प्रमाण पत्र बोर्ड को सभी सीओओ की सूची के साथ सत्यापन के लिए भेजे जाने चाहिए, जिनके लिए फील्ड गठन का उद्देश्य इस तरह के सत्यापन के परिणाम को लागू करना है। प्रतिनिधि सीओओ को इस तरह से चुना जाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे प्रत्येक निर्यातक, आयातक और निर्धारित मूल मानदंड को समाहित करते हैं।"

पूर्वोक्त प्रावधान का अक्षरशः और मन दोनों रूप से कड़ाई से अनुपालन में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि, बोर्ड को केवल प्रतिनिधि मूल प्रमाण पत्र भेजा जाए।

Bulk Verification requests of Certificates of Origin: Para 4 (i) of the CBIC Circular No. 38/2020-Customs dated 21.08.2020 states that-

"In case several certificates pertaining to identical item are under review or scrutiny, only representative certificates should be forwarded to the Board to cause verification along with list of all COOs to which the field formation aims to apply the result of such verification. Representative COOs may be selected in such a manner to ensure that they cover each of the exporters, importers and the prescribed originating criteria."

Strict compliance of the aforesaid provision, both in letter and spirit, is important ensure that only representative Certificate of Origins are forwarded to the Board.

3.1. इसके अलावा, यदि किसी दिए गए निर्माता/उत्पादक के उत्पाद को पहले ही सत्यापन प्रक्रिया के बाद सत्यापित किया जा चुका है, तो उसी मूल मानदंड को पूरा करने के दावे के साथ आयात किए गए उसी निर्माता/उत्पादक से उसी उत्पाद की बाद की खेपों पर फिर से सत्यापन के लिए विचार नहीं किया जाएं। ऐसे मामलों में, पिछले सत्यापन में प्राप्त परिणाम लागू किया जाएं। हालांकि, अगर यह मानने का कोई कारण है कि बाद की खेप में वही उत्पाद निर्माण या अन्य मूल संबंधी शर्तों में संशोधन जैसे आधारों पर मूल मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो सत्यापन का अनुरोध किया जा सकता है।

Further if a product of a given manufacture/producer has already been verified following due verification process, subsequent consignments of the same product from the same manufacture/producer imported with a claim to meet the same originating criteria, may not be considered for verification again. In such cases, result obtained in the previous verification may be applied. However, if there is a reason to believe that the same product in a subsequent consignment does not meet originating criteria on the grounds such as modification in manufacturing or other origin related conditions, verification may be requested.

4. **CAROTAR,2020 के नियम 6(1)(b) के तहत सत्यापन अनुरोध:-** CAROTAR,2020 के नियम 6(1)(b) में कहा गया है कि-

"... ... उचित अधिकारी, सीमा शुल्क निकासी के दौरान या" उसके बाद, सत्यापन प्राधिकारी से मूल के प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए अनुरोध जहां यह मानने का कारण है कि मूल के प्रमाण पत्र में बताए गए मूल देश के मानदंड को पूरा नहीं किया गया है या आयातक द्वारा किए गए शुल्क की अधिमान्य दर का दावा अमान्य है।

Verification requests under Rule 6(1) (b) of CAROTAR,2020:- Rule 6(1)(b) of the CAROTAR,2020 states that-

".....the proper officer may, during the course of customs clearance or

6. CAROTAR,2020 के तहत निर्धारित समय-सीमा को बनाए रखा जाना :- CBIC परिपत्र संख्या 38/2020-सीमा शुल्क दिनांक 21.08.2020 के पैरा 4 (iv) में कहा गया है कि-

"जहां मूल के सत्यापन के आधार पर माल के सत्यापन पर किए गए विचार को अस्थायी रूप से मंजूरी दी गई है या मंजूरी नहीं दी गई है, ऐसे अनुरोधों को आयातक से अपेक्षित जानकारी और यदि CAROTAR,2020 के नियम 6(1)(बी) के तहत अनुरोध पर विचार किया जा रहा है तो उसे दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों के भीतर सूचित किया जाना चाहिए।

Preșcribed timelines under CAROTAR,2020 to be maintained :- Para 4 (iv) of the CBIC Circular No. 38/2020-Customs dated 21.08.2020 states that-

- * "Where verification is being considered for goods not cleared or cleared provisionally on grounds of verification of origin, such requests should be communicated within 10 days from the date of receipt of requisite information and documents from the importer in case the request is being considered in terms of Rule 6(1)(b) of CAROTAR,2020".
- 7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मूल्यांकन समूहों में तैनात अधिकारियों और फील्ड अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि आयातित माल की उत्पत्ति के बारे में पूछताछ की जाती है और निर्धारित मानक प्रक्रियाएं, प्रारूप और समयसीमा का पालन करते हुए सभी सत्यापन अनुरोधों को CAROTAR, 2020 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड को सख्ती से अग्रेषित किया जाएं।

In view of the above, the officers posted at Assessment Groups and Field officers are advised to ensure that enquiries on origin of imported goods are handled and all verification requests are forwarded to the Board strictly in terms of provision of 'CAROTAR,2020 following the prescribed standard procedures, format and timelines.

8. इस स्थायी आदेश के कार्यान्वयन में किसी भी कठिनाई के मामले में अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), सीमा शुल्क गृह, कोचीन के ध्यान में लाया जाएं ।

In case of any difficulties in implementation of this standing order may be brought to the notice of the Additional Commissioner of Customs (Import), Custom House, Cochin.

र्भ प्रेटिंग् त. यसफ MOHD.YOUSAF

मो. यूसफ़ MOHD.YOUSAF आयुक्त COMMISSIONER

प्रतिलिपि Copy to:

- 1. मुख्य आयुक्त केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम जोन, आई एस प्रेस रोड कोचिनThe Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvanathapuram Zone, I.S.Press Road, Cochin
- 2. सीमा शुल्क अपर आयुक्त, सीमा शुल्क गृह,कोचिन The Additional Commissioners of Customs, Custom House,
- 3. उप/सहायक आयुक्त सीमा शुल्क गृह,कोचिन The Deputy/Assistant Commissioners of Custom House, Cochin
- 4. ई डी आई अनुभाग EDI Section सीमा शुल्क की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु For publication in the Cochin Customs website.
 - 5. स्चना पट्ट Notice Board